भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2757
(जिसका उत्तर मंगलवार, 20 मार्च, 2018 को दिया गया)
अनियंत्रित जमा योजनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून

2757. श्रीमती वानसुक साइम :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोंजी स्कीम के द्वारा सीधे सादे निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए अनियंत्रित जमा योजनाओं पर रोक लगाने के लिए एक नए कानून का मसौदा तैयार किया है;
(ख) क्या पहले से किए गए तमाम संशोधनों/नए विधानों के बावजूद रातों रात भाग जाने वाले संचालकों, जो कि असावधान जनता से धनराशि जमा करवाने का कार्य अभी भी दंड मुक्त होकर कर रहे हैं, के लिए अभी भी यह क्षेत्र खुला है; और
(ग) सीधे विपणन करने वाली कंपनियों, जो कि सोशल क्लब के उच्च पदस्थ सदस्यों के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत हैसियत में अपने उत्पादों को बढ़ावा दे रही है या उन्हें बेच रही है, की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ने कहा है कि 16 मार्च, 2018 की लोक सभा की संशोधित कार्य सूची में अनियमित जमा योजना पर प्रतिबंध लगाना विधेयक, 2018 को प्रस्तुत करने हेतु सूचीबद्ध किया गया था, परन्तु सदन 19 मार्च, 2018 तक स्थगित था, जिसके कारण यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह कहा गया है कि, इस विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से देशभर में अवैध जमा कार्यकलापों के खतरे से निपटना है :

(i) अनियमित जमा कार्यकलापों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना;
(ii) किसी अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने या परिचालित करने के लिए निवारक दण्ड;
(iii) जमाकर्ताओं की पुनःअदायगी में कपटपूर्ण चूक के लिए दण्ड;
(iv) किसी जमा स्वीकार करने वाली कंपनी द्वारा चूक किए जाने पर जमा की पुनः अदायगी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी नामित करना जिसमें चूककर्ता कंपनी की परिसंपत्तियां जब्त करना शामिल है;
(v) अधिनियम के अधीन जमाकर्ताओं की पुनः अदायगी की निगरानी करने और अपराधों की सुनवाई करने के लिए न्यायालय नामित करना।

(ग): उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) ने यह कहा है कि उन्होंने 26.10.2016 की अधिसूचना द्वारा प्रत्यक्ष विक्रय पर दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनमें प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनी द्वारा नामांकन से पूर्व प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ एक संविदा समझौता निष्पादित करना अपेक्षित है। उपभोक्ता मामले विभाग ने यह भी सूचित किया है कि उनके पास उच्च सम्मानित सोशल क्लब सदस्यों के

माध्यम से निजी क्षमता में अपना उत्पादों को विज्ञापित/विक्रय करने वाली प्रत्यक्ष मार्केटिंग कंपनियों के संबंध में कोई डाटा/सूचना उपलब्ध नहीं है।

*****